संख्या-5/2018-7147/62-2-2017-2/3(35)/2013टी0सी0

प्रेषक,

शरद कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 फरवरी, 2018

विषय- लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुदृढीकरण / निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1354/ल0सिं0/बजट-बी0के0टी0/ 2017-18, दिनांक 10.10.2017 व पत्र संख्या-जी-124/ल0सिं0/बजट-बी0के0टी0/2017-18, दिनांक 15.12.2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)69, दिनांक 10.06.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुदृढीकरण / निर्माण हेतु (राज्य सेक्टर) में प्राविधानित धनराशि रू0-235.00 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को देय सेवाकर की धनराशि रू0-16.69 एवं पुनर्निर्माण हेतु धनराशि रू0-218.31 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-235.00 (रू0- दो करोड़ पैतीस लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत राज्य सेक्टर की योजनाओं के अधीन लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुदृढीकरण/ निर्माण की योजना पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न् किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई / अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94,दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) निर्माण कार्य में जी0पी0एस0 मैपिंग व फोटो ग्राफी एवं टैगिंग की व्यवस्था लागू की जाय।

(7) उक्त अवमुक्त धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 10.06.2001 के प्रस्तर-3(5) में उपलब्ध व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित करते हुए अग्रिम रूप में उपलब्ध कराया जाय।

2. तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-10-लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण भवन का सुदृढीकरण / निर्माण-24-वृहत निर्माण" कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के परामर्शानुसार जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शरद कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-7147(1)/62-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान, बी0के0टी0, लखनऊ।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
6- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11- एन0आई0सी0 की प्रति।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।